



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-Section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 139]
No. 139]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 1978/वैशाख 11, 1900
NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 1978/VAISAKHA 11, 1900

इस भाग में मिला पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नाँवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 1 मई, 1978

सा०का०पि० 255(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काण्डला पत्तन की सीमाओं में परिवर्तन करती है और यह भी घोषित करती है कि ऐसी सीमाओं का विस्तार निम्नानुसार होगा :-

काण्डला पत्तन की सीमाएँ

1. पश्चिम में : अक्षांश $23^{\circ}03'44.5''$ उ, देशान्तर $70^{\circ}03'30''$ पू बिन्दु से दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम की ओर खींची गई। रेखा से अक्षांश $22^{\circ}46'36''$ उ, देशान्तर $69^{\circ}57'$ पू बिन्दु तक, वहाँ से दक्षिण-पश्चिम में, अक्षांश $22^{\circ}33'12''$ उ, देशान्तर $69^{\circ}36'$ पू बिन्दु तक, वहाँ से ठीक दक्षिण की ओर अक्षांश $22^{\circ}26'48''$ उ, देशान्तर $69^{\circ}36'$ पू बिन्दु तक, तत्पश्चात् अक्षांश $22^{\circ}22'36''$ उ, देशान्तर $69^{\circ}39'36''$ पू में उच्चतम ज्वार रेखा पर के बिन्दु तक।
2. दक्षिण में : अक्षांश $22^{\circ}22'36''$ उ, देशान्तर $69^{\circ}39'36''$ पू के बिन्दु से उच्चतम ज्वार रेखा के साथ-साथ अक्षांश $22^{\circ}24'24''$ उ देशान्तर $69^{\circ}44'48''$ पू (लगभग) पर बिन्दु 'ग' तक, अर्थात् सिंगैक गांव में सर्वेक्षण सं० 307 के उत्तर पश्चिमी कोने तक और तब ठीक उत्तर में वहाँ तक जहाँ तक यह समुद्र में 20 क्वड्र रेखा (37 मीटर) समोच्चरेखा

अर्थात् अक्षांश $22^{\circ}34'$ उ, देशान्तर $69^{\circ}44'48''$ पू०, (लगभग) के बिन्दु, से मिलती है, तत्पश्चात् उत्तर-पश्चिम में, अक्षांश $22^{\circ}49'$ उ, देशान्तर $70^{\circ}11'$ पू बिन्दु तक वहाँ से अक्षांश $22^{\circ}55'49''$ उ, देशान्तर $70^{\circ}19'13''$ पू के बिन्दु तक, तत्पश्चात् अक्षांश $22^{\circ}55'49''$ उ, देशान्तर $70^{\circ}23'05''$ पू बिन्दु तक।

3. पूर्व में : अक्षांश $22^{\circ}55'49''$ उ, देशान्तर $70^{\circ}23'05''$ पू बिन्दु से खींची गयी एक रेखा, अक्षांश $23^{\circ}04'42''$ उ देशान्तर $70^{\circ}29'26''$ पू बिन्दु तक जाती है और तब अक्षांश $23^{\circ}10'42''$ उ, देशान्तर $70^{\circ}38'00''$ पू बिन्दु तक जाती है, तब ठीक उत्तर में $70^{\circ}38'00''$ पू के गाम्पोसर के साथ-साथ अक्षांश $23^{\circ}12'30''$ उ को काटने वाले बिन्दु तक जाती है।
4. उत्तर में : अक्षांश $23^{\circ}12'30''$ उ, देशान्तर $70^{\circ}38'00''$ पू बिन्दु से ठीक पश्चिम में खींची गयी एक रेखा से उस बिन्दु तक जहाँ समान्तर, देशान्तर, $70^{\circ}18'00''$ पू को काटती है, वहाँ से अक्षांश $23^{\circ}08'00''$ उ, देशान्तर $70^{\circ}09'14''$ पू के बिन्दु तक, वहाँ से अक्षांश $23^{\circ}05'38''$ उ, देशान्तर $70^{\circ}08'53''$ पू के बिन्दु तक, वहाँ से ग्रहमवाबाव-काण्डला राष्ट्रीय महामार्ग की पूर्वी सीमा के साथ-साथ अक्षांश $23^{\circ}02'06''$ उ, देशान्तर $70^{\circ}08'26''$ पू के बिन्दु तक, वहाँ के गांधीधाम टाउनशिप की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ अक्षांश $23^{\circ}03'44.5''$ उ देशान्तर $70^{\circ}03'30''$ पू के बिन्दु तक जाती है।

[सा०सं०पी जी के-44/74-I]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st May, 1978

G.S.R. 255 (E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby alters the limits of the Port of Kandla and further declares that the extent of such limits shall be as described below:—

Limits of the Port of Kandla

- “1. ON THE WEST:—By a line drawn South-south westerly from the point in Lat. 23°03' 44.5" N., Long. 70°03' 30" E., to a point in Lat. 22° 46' 36" N., Long. 69°57' E., then South westerly to a point in Lat. 22°33' 12" N., Long. 69 36' E., thenforth due South to a point in Lat. 22°26' 48" N., Long. 69°36' E., thereafter to a point on the highwater line in Lat. 22°22' 36" N., Long. 69°39' 36" E.
2. ON THE SOUTH:—From the point in Lat. 22° 22' 36" N., Long. 69° 39' 36" E., all along the highwater line to a point 'C' in Lat. 22° 24' 24" N., Long. 69° 44' 48" E., (Approximate) i.e. North West corner of Survey No. 307 in Singach village and then due north where it meets the 20 fathom line (37 metres) contour line in sea i.e. at a point in Lat. 22° 34' N., Long. 69° 44' 48" E., (Approximate), thenceforth north easterly to a point in Lat. 22° 49' N., Long. 70°11' E., then to a point in Lat. 22° 55' 49" N., Long. 70° 19' 13" E., thereafter to a point in Lat. 22° 55' 49" N., Long. 70° 23' 05" E.
3. ON THE EAST:—By a line drawn from the point Lat. 22° 55' 49" N., Long. 70° 23' 05" E., to a point in Lat. 23° 04' 42" N., Long 70° 29' 26" E., and then to a point in Lat. 23° 10' 42" N., Long 70° 38' 00" E., then due North along the Meridian of 70° 38' 00" E., to a point intersecting Lat. 23° 12' 30" N.
4. ON THE NORTH:—By a line drawn due West from the point in Lat. 23° 12' 30" N., Long 70° 38' 00" E., to a point where the Parallel intersects Long. 70° 18' 00" E., thence to a point in Lat. 23° 08' 00" N., Long. 70° 09' 14" E., therefrom to a point in Lat. 23° 05' 38" N., Long. 70° 08' 53" E., thence along the eastern boundary of the Ahmdabad Kandla National Highway to a point in Lat. 23° 02' 06" N., Long. 70° 08' 26" E., thence along the southern limits of Gandhidham Township upto a point in Lat. 23° 03' 44.5" N., Long. 70° 03' 30" E.”

[F.N. PGK-44/74-I]

सं०का०वि० 256 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 4 की उपधारा (2) और उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन (पत्तन) मंत्रालय की अधिसूचना सं० 19 पी० (82) 48-1, सारोख 1 जनवरी, 1950 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, काण्डला पत्तन की सीमाओं की परिनिश्चित करने वाले, “पश्चिम में” शब्दों से प्रारम्भ होने वाले और “देशान्तर 70. 03'30”

पू० तक जाती है”, शब्दों से समाप्त होने वाले अंश के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

- “1. पश्चिम में : अक्षांश 23°03' 44.5" उ, देशान्तर 70°03' 30" पूर्व बिन्दु से दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम की ओर खींची गयी रेखा, अक्षांश 22°46' 36" उ, देशान्तर 69°57' पू बिन्दु तक जाती है, वहाँ से दक्षिण-पश्चिम की ओर अक्षांश 22°33' 12" उ, देशान्तर, देशान्तर 69°36' पू० तक जाती है, वहाँ से ठीक दक्षिण की ओर अक्षांश 22°26' 48" उ, देशान्तर 69°36' तक जाती है, तत्पश्चात् उच्चतम ज्वार रेखा पर के अक्षांश 22°22' 36" उ, देशान्तर 69°39'36" पू बिन्दु तक जाती है।
2. दक्षिण में अक्षांश 22°22' 36" उ देशान्तर 69°30' 36" पू बिन्दु से उच्चतर ज्वार रेखा के साथ-साथ अक्षांश 22°24' 24" उ देशान्तर 69°44' 49" पू (लगभग) पर बिन्दु 'ग' अर्थात् सिरोक गाव में सर्वेक्षण सं० 307 के उत्तर-पश्चिमी कोने तक और तब उत्तर की ओर वहाँ तक जहाँ यह समुद्र में 20 फीट रेखा (37 मीटर) समोच्च रेखा में मिलती है अर्थात् अक्षांश 22°34' उ, देशान्तर 69°44'48" पू (लगभग) पर के बिन्दु तक, तत्पश्चात् उत्तर-पश्चिम में, अक्षांश 22.49' उ, देशान्तर 70°11' पू० बिन्दु तक, तब अक्षांश 22°55' 49" उ, देशान्तर 70°19' 13" पू बिन्दु तक, वहाँ से अक्षांश 22.55' 49" उ, देशान्तर 70.23'05" पर के बिन्दु तक जाती है।
3. पूर्व में : अक्षांश 22°55' 49" उ देशान्तर 70°23' 05" पू बिन्दु से खींची गयी रेखा से अक्षांश 23°04' 42" उ, देशान्तर 70°29' 26" पू, बिन्दु तक और तब अक्षांश 23°10' 42" उ देशान्तर 70°38' 00" पर के बिन्दु तक, तब उत्तर की ओर 70°38' 00" पू के याम्योत्तर के साथ-साथ अक्षांश 23°12' 30" उ को काटने वाले बिन्दु तक जाती है।
- 4 उत्तर में : अक्षांश 23°12' 30" उ देशान्तर 70°38' 00" पू पर के बिन्दु से खींची गयी रेखा से उस बिन्दु तक जहाँ समांतर, देशान्तर 70°18' 00" पू को काटती है, तब अक्षांश 23°08' 00" उ, देशान्तर 70°09' 14" पू बिन्दु तक, वहाँ से तब अक्षांश 23°05' 38" उ देशान्तर 70°08' 53" पू बिन्दु तक जाती है, वहाँ से अहमदाबाद काण्डला राष्ट्रीय महामार्ग की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, अक्षांश 23°02' 06" उ देशान्तर 70°26" पू पर के बिन्दु तक, वहाँ से पाँधीघाम टाउनशिप की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ अक्षांश 23°03'44.5 उ देशान्तर 70°03' 30" पू बिन्दु तक जाती है।”

[फा० सं० पी जी के-44/74-II]

बिरेन्द्र राज महता, संयुक्त सचिव

G.S.R. 256 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of Section 4 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India in the late Ministry of Transport (Ports) No. 19P (82) 48-I dated the 1st January, 1950, namely:—

In the said notification, for the portion, defining the limits of the Port of Kandla, beginning with the words “ON THE

WEST" and ending with the expression "Long. 70° 03' 30" E", the following shall be substituted, namely:—

1. ON THE WEST:—By a line drawn South-South Westerly from the point in Lat. 23° 03' 44.5" N, Long. 70° 03' 30" E., to a point in Lat. 22° 46' 36" N., Long. 69° 57' E., then South-westerly to a point in Lat. 22° 33' 12" N., Long. 69° 36' E. thenceforth due South to a point in Lat. 22° 26' 48" N., Long. 69° 36' E., thereafter to a point on the highwater line in Lat. 22° 22' 36" N., Long. 69° 39' 36" E.
2. ON THE SOUTH:—From the point in Lat. 22° 22' 36" N., Long. 69° 39' 36" E., all along the highwater line to a point 'C' in Lat. 22° 24' 24" N., Long. 69° 44' 48" E. (Approximate) i.e. North West corner of Survey No. 307 in Singach village and then due north where it meets the 20 fathom line (37 metres) contour line in Sea i.e. at a point in Lat. 22° 34' N, Long. 69° 44' 48" E., (Approximate), thenceforth north easterly to a point in Lat. 22° 49' N., Long. 70° 11' E, then to a point in Lat. 22° 55' 49" N., Long. 70° 19' 13" E., thereafter to a point in Lat. 22° 55' 49" N., Long. 70° 23' 05" E.

3. ON THE EAST:—By a line drawn from the point Lat. 22° 55' 49" N., Long 70° 23' 05" E., to a point in Lat. 23° 04' 42" N., Long. 70° 29' 27" E. and then to a point in Lat. 23° 10' 42" N., Long. 70° 38' 00" E., then due North along the Meridian of 70° 38' 00" E., to a point intersecting Lat. 23° 12' 30" N.
4. ON THE NORTH:—By a line drawn due west from the point in Lat. 23° 12' 30" N., Long. 70° 38' 00" E., to a point where the parallel intersects Long. 70° 18' 00" E., thence to a point in Lat. 23° 08' 00" N., Long. 70° 09' 14" E, therefrom to a point in Lat. 23° 05' 38" N., Long. 70° 08' 53" E., thence along the eastern boundary of the Ahmedabad Kandla National Highway to a point in Lat. 23° 02' 06" N., Long 70° 08' 26" E., thence along the southern limits of Gandhidham Township upto a point in Lat. 23° 03' 44". 5N., Long 70° 03' 30" E."

[F. No. PGK-44/74-II]

V.R. MEHTA, Joint Secy.

